बिहार विधान परिषद् **दैनिक विवरणिका**

संख्या- 5 सत्र- 191वां

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख
शुक्रवार, दिनांक 15.2.2019 ई.

माननीय कार्यकारी सभापति श्री मो. हारूण रशीद की
अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही आरंभ हुई।

11.00 पूर्वाह्न से 6.15 अपराह्न तक

1. आसन को सूचना एवं आसन का निर्णय

सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही माननीय सदस्य, डा. दिलीप कुमार चौधरी ने कश्मीर में शहीद हुए जवानों के संबंध में आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए एक शोक प्रस्ताव लाने हेतु अनुरोध किया। इसपर आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि ठीक है, सूचना ग्रहण की गई।

2. कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट किया जाना एवं आसन का नियमन

माननीय सदस्य, श्री प्रेमचन्द्र मिश्रा ने कश्मीर के पुलवामा में शहीद हुए जवानों के संबंध में कार्य स्थगन के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट किया जिसका सत्तापक्ष की ओर से विरोध किया गया। आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय सदस्य, श्री प्रेमचन्द्र मिश्रा से प्राप्त कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को

बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के अंतर्गत कार्यस्थगन प्रस्तावों की अस्वीकृति के आधार संख्या- 4, 5, 8, 9, 15 एवं 39 के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया है।

आसन का निर्णय

आसन से माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने कश्मीर में शहीद हुए जवानों के संबंध में उठाये गये कार्य स्थगन एवं सूचना पर सदन की भावना को देखते हुए यह नियमन देने की कृपा की कि इस शोक की घड़ी में इससे हम इत्तेफाक रखते हैं और इसपर हम शोक व्यक्त करेंगे। हम सभी अपनी ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और जो मेरे कार्य क्षेत्र और सीमा के अंतर्गत है, हम उसी पर सदन में चर्चा कर सकते हैं। इसलिए प्रेमचन्द्र जी आप विद्वान सदस्य हैं, आपसे आग्रह है कि बैठ जाइए।

(नियमन के बाद विपक्ष एवं सत्तापक्ष के सदस्यगण आपस में आरोप एवं प्रत्यारोप लगाने लगे।)

3. प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 36 से 39 उत्तरित हुए।
प्रश्न संख्या- 40, 41, 42, 43, 44 सदन पटल पर रखे गए।

तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 71 से 76, 79, 80, 81, 82, 83 उत्तरित हुए।
प्रश्न संख्या- 77, 78 व्यपगत हुए।
प्रश्न संख्या- 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 सदन पटल पर रखे गए।

4. औपचारिक कार्य

विधान सभा से स्वीकृत विधेयक का सदन की मेज पर रखा जाना

सचिव द्वारा बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 205 (ग) (1) के अनुसरण में बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक 14.2.2019 की बैठक में यथापारित बिहार विनियोग विधेयक, 2019 की एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

5. परिनियत कार्य

माननीय मंत्री, श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा द्वारा बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के वित्तीय बर्ष 2015-16 का वार्षिक लेखा पुस्तिका की एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

6. **शून्यकाल**

शून्यकाल के दौरान निम्नांकित माननीय सदस्यों ने विभिन्न विषयों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया-

1. श्री राधाचरण साह
2. प्रो. नवल किशोर यादव

आसन का निदेश

माननीय सदस्य, श्री राधाचरण साह की शून्यकाल की सूचना पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह निदेश देने की कृपा की गई कि आप दे दें, सरकार इसे देखेगी।

माननीय सदस्य, प्रो. नवल किशोर यादव की शून्यकाल की सूचना पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह निदेश देने की कृपा की गई कि आप दे दें, सरकार इसे देखेगी। यहां शून्यकाल समिति के अध्यक्ष उसपर विभाग को बुलाकर बात करेंगे।

7. **कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट किया जाना एवं आसन का नियमन**

ध्यानाकर्षण आरंभ होने के पूर्व माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार ने कार्यस्थगन के माध्यम से 2011 में हुई जाति-आधारित जनगणना के संबंध में आसन का ध्यान आकृष्ट करना चाहा, इसपर आसन से माननीय कार्यकारी महोदय ने नियमन देने की कृपा की कि आपने अभी प्रस्ताव रखने की अनुमति मांगी है, आपको शुरू में ही बोलना था लेकिन आपने नहीं रखा। उनके द्वारा पुन: अनुरोध पर आसन से निदेश दिया गया कि ठीक है, रखिए। इसके बाद माननीय सदस्य श्री सुबोध कुमार ने अपने कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट किया,जिसपर आसन से माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने यह नियमन देने की कृपा की कि माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार से प्राप्त कार्यस्थगन प्रस्ताव को बिहार विधान परिषद् की

प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 47(क) की कंडिका (1) के अधीन प्रत्यक्षत: राज्य सरकार का उत्तरदायित्व अंतर्ग्रस्त नहीं होने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया है। प्रस्ताव का अभीष्ट विषय महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के संशोधनों में समाविष्ट है। इस विषय पर राजकीय संकल्प की सूचना पूर्व से ही प्राप्त है।

8. ध्यानाकर्षण

1. माननीय सदस्य, श्री आदित्य नारायण पाण्डेय द्वारा राज्य के सभी उत्क्रमित विद्यालयों के भवन निर्माण कार्य को पूरा कर विद्यालय को हस्तान्तरित करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा ने वक्तव्य दिया।

आसन का नियमन

आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री ने सदन को आश्वस्त कर दिया कि जो तैयार है उसको हैंडओवर कर दिया जाएगा। लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है, चूंकि संबंधित विभाग से शिक्षा विभाग को एन.ओ.सी. लेना है जिस विभाग ने भवन बनवाया है, लेकिन वह इनके नॉलेज में चला गया है, ये खुद सेंसिटिव हैं इसलिए इसको देखेंगे।

2. माननीय सदस्य, श्री गुलाम रसूल द्वारा राज्य के तालीमी मरकज़, स्वयंसेवकों/टोला सेवकों के लिए विशेष T.E.T. का आयोजन कर सफल अभ्यर्थियों को समायोजित करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा ने वक्तव्य दिया।

(अंतराल)

9. आसन का आकृष्ट किया जाना एवं आसन का नियमन

सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही माननीय सदस्य, श्री प्रेमचन्द्र मिश्रा ने पुलवामा में हुई दु:खद घटना की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहा, जिसका विपक्ष

के माननीय सदस्यों ने समर्थन किया तथा सत्तापक्ष की ओर से इसका विरोध किया गया। आसन से माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने यह नियमन देने की कृपा की कि हमने नियमन दे दिया है और सदन का कार्य जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद उसपर शोक प्रस्ताव लाएंगे। आप ही को चिंता नहीं है। माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार द्वारा आसन के नियमन पर टिप्पणी करने पर माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने स्पष्ट नियमन देने की कृपा की कि सुबोध जी, आप आसन को ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं, यह हाईली ऑब्जेक्शनेबुल है, यह आपकी इच्छा है कि आप सदन में रहें या नहीं रहें लेकिन हम अपना काम करेंगे। आज महामहिम के यहां से चिट्ठी आई है कि वहां 6 बजे शाम में जो कार्यक्रम है उसको स्थगित कर दिया गया है और हमारे यहां भी जो शाम में नाश्ते का कार्यक्रम था उसको हमने स्थगित कर दिया है तथा माननीय पूर्व सदस्या, श्रीमती वैदेही देवी का जो निधन हो गया था उसपर भी हम सब शोक प्रकाश व्यक्त करेंगे। इसलिए आपलोग शांत हो जाएं।

(अंतराल)

3. माननीय सदस्य, श्री रामचन्द्र भारती द्वारा पटना सिटी स्थित रामेश्वरदास पन्नालाल महिला कॉलेज को NAAC के मापदण्ड के अनुरूप पर्याप्त संसाधन की व्यवस्था करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री कृष्णनन्दन प्रसाद बर्मा ने वक्तव्य दिया।

4. माननीय सदस्य, श्री केदार नाथ पाण्डेय द्वारा राज्य के विद्यालयों में कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर शिक्षकों की समस्याओं के निदान के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री कृष्णनन्दन प्रसाद बर्मा ने वक्तव्य दिया।

5. माननीय सदस्या, श्रीमती रीना देवी उर्फ रीना यादव द्वारा राज्य के उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के मानदेय का आधार कार्य दिवस के स्थान पर कक्षावार निर्धारित करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाना।

   माननीय सदस्या अनुपस्थित।

6. माननीय सदस्य, श्री दिलीप कुमार चौधरी द्वारा मैथिली भाषा की पढ़ाई राज्य के प्राथमिक विद्यालय से शुरू कराने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री कृष्णनन्दन प्रसाद बर्मा ने वक्तव्य दिया।

आसन का नियमन

आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय सदस्य, प्रेमचन्द्र मिश्रा जी का एक ध्यानाकर्षण इस संबंध में बाद में आया इसलिए एक ही ध्यानाकर्षण की स्वीकृति दी गई। वह ध्यानाकर्षण भी इसी में टैग है।

7. माननीय सदस्य, श्री राजेश राम द्वारा राज्य के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों, राजकीय मध्य विद्यालयों एवं मदरसों में नियुक्त रसोइया सहायक को न्यूनतम मजदूरी दर पर पारिश्रमिक का भुगतान करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री कृष्णनन्दन प्रसाद बर्मा ने वक्तव्य दिया।

8. माननीय सदस्य, प्रो० नवल किशोर यादव द्वारा राज्य के प्रोजेक्ट एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के जीव विज्ञान एवं गणित विषय के अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री कृष्णनन्दन प्रसाद बर्मा ने वक्तव्य दिया।

आसन का नियमन

आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री, यह मामला बहुत जटिल है। जो लोग मदरसा या संस्कृत विद्यालयों में वर्षों से कार्यरत हैं उनमें भी ट्रेनिंग की समस्या आएगी। वे 50 प्रतिशत से कम मार्क्स पर बहाल हो गये लेकिन बहाली के समय उनके विज्ञापन में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं थी। समस्या आपके सामने आनेवाली है, उनको ट्रेनिंग नहीं जाने दिया जा रहा है

तो कोई न कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। जो नौकरी में है और 50 प्रतिशत से कम मार्क्स है तो उनकी नौकरी भी चली जीएगी। जो लीगल रास्ता हो वह देखकर इसका समाधान कीजिए। सरकार के हाथ में सबकुछ है इसलिए हमने कहा कि जो नियमानुसार है वह कीजिए। इसपर माननीय मंत्री ने आश्वस्त किया कि इसपर विभागीय स्तर पर बात कर लेंगे।

9. माननीय सदस्य, प्रो० वीरेन्द्र नारायण यादव द्वारा राज्य के अल्पसंख्यक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियत वेतन पर कार्यरत शिक्षकों को षष्ठम एवं सप्तम वेतन का पे-स्केल देने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा ने वक्तव्य दिया।

10. माननीय सदस्य, श्री नीरज कुमार की अनुपस्थिति में माननीय सदस्य, डा. संजीव कुमार सिंह द्वारा शिक्षा विभाग एवं राज्य के विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु विश्वविद्यालय में 'निबंधक प्रशासन' का पद सृजित करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा ने वक्तव्य दिया।

11. माननीय सदस्य, डा० संजीव कुमार सिंह द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों में नियुक्त एवं कार्यरत अतिथि शिक्षकों के वर्तमान मानदेय में वृद्धि करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा ने वक्तव्य दिया।

10. **आसन की सूचना**

आसन से माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने सदन को सूचित करने की कृपा की कि आज संध्या 6.00 बजे राजभवन में होनेवाले अल्पाहार कार्यक्रम को रद्द होने की सूचना दी गई है। साथ ही मेरे द्वारा घोषित आज के अल्पाहार कार्यक्रम को भी रद्द किया जाता है।

(अंतराल)

11. **सदन का समय बढ़ाया जाना**

माननीय मुख्य सचेतक, सत्तारूढ़ दल, श्री संजय कुमार सिंह ने प्रस्ताव किया कि शेष कार्यों के संपादन होने तक सदन का समय बढ़ाया जाय, इसपर सदन की सहमति प्रदन की गई।

(अंतराल)

12. **वित्तीय कार्य**

वित्तीय वर्ष 2018-19 की तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरणी पर सामान्य वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं बिहार विनियोग विधेयक, 2019

माननीय सदस्य, डा. संजीव कुमार सिंह ने प्रस्ताव किया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 की तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरणी पर सामान्य वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं तत्संबंधी बिहार विनियोग विधेयक, 2019 एक साथ लिए जाएं, जिसपर सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

बिहार विनियोग विधेयक, 2019

माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी ने प्रस्ताव किया कि बिहार विनियोग विधेयक, 2019 पर विचार हो।

विधेयक पर विचार के प्रस्ताव पर निम्नांकित माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए -

1. श्री केदारनाथ पाण्डेय
2. श्री सुबोध कुमार, मुख्य सचेतक, विरोधी दल
3. डा. दिलीप कुमार चौधरी

माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी ने प्रस्ताव किया कि बिहार विनियोग विधेयक, 2019 पारित हो।

विधेयक की स्वीकृति के प्रस्ताव पर माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी ने वक्तव्य दिया।

तदुपरांत विधेयक पारित हुआ।

विधेयक पर बिना किसी सिफारिश के सहमति प्रदान की गई।

सचिव इसकी विधिवत सूचना विधान सभा को दे देंगे।

13. **औपचारिक कार्य**

विधान सभा से स्वीकृत विधेयक का सदन की मेज पर रखा जाना

सचिव द्वारा बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 205 (ग) (1) के अनुसरण में बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक 15.2.2019 की बैठक में यथापारित बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2019 की एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

14. **वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक पर सामान्य वाद विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2019**

माननीय सदस्य, श्री संजीव कुमार सिंह ने प्रस्ताव किया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक पर सामान्य वाद विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं तत्संबंधी विधेयक तथा सभा द्वारा यथापारित बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2019 एक साथ लिये जायें । जिस पर सदन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई ।

बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2019

श्री सुशील कुमार मोदी, माननीय उप मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथा पारित बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2019 पर विचार हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुशील कुमार मोदी, माननीय उप मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथा पारित बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2019 पारित हो।

विधेयक की स्वीकृति के प्रस्ताव पर सरकार की ओर से माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी ने वक्तव्य दिया।

तदुपरांत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर बिना किसी सिफारिश के सहमति प्रदान की गई।

सचिव इसकी विधिवत सूचना विधान सभा को दे देंगे।

15. निवेदन

निवेदन के माध्यम से निम्नांकित माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया-

1. श्री केदारनाथ पाण्डेय
2. श्री सतीश कुमार
3. श्री सलमान रागिब
4. प्रो. संजय कुमार सिंह
5. श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता
6. श्री हीरा प्रसाद बिन्द
7. श्री रितलाल राय
8. श्री वीरेन्द्र नारायण यादव
9. प्रो. नवल किशोर यादव
10. डा. राम वचन राय
11. श्री राधाचरण साह
12. श्री रामचन्द्र पूर्वे

माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने सदन की अनुमति से यह निदेश देने की कृपा की कि प्राप्त सभी निवेदनों को निवेदन समिति के माध्यम से संबंधित विभागों को प्रेषित किया जाय।

16. **शोक प्रकाश**

1. जम्मू-कश्मीर में सी.आर.पी.एफ. के काफिले पर किया गया आतंकी हमले में शहीद जवानों तथा

2. स्वर्गीया वैदेही देवी को श्रद्धांजलि दी गई तथा दिवंगत आत्माओं की चिरशांति हेतु सदन में एक मिनट का मौन रखा गया।

तत्पश्चात् परिषद् की बैठक सोमवार, दिनांक 18.2.2019 को 12.00 मध्याह्न तक के लिए स्थगित हुई।

(सुभीम शर्मा)
मुख्य प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद्।

ज्ञापांक- 290 (3) / वि.प. पटना, दिनांक 15.2.2019

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण/ महामहिम राज्यपाल के सचिव, बिहार/ माननीय महाधिवक्ता, बिहार/ माननीय लोकायुक्त, बिहार/ बिहार सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्ष/ सभी राज्यों के विधानमंडलों के सचिव/ लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली/ विधि मंत्रालय, नई दिल्ली/ पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली/ बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना/ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार/ अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमोद कुमार
15-02-2019

(प्रमोद कुमार)
वरीय प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद्।